

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- श्री गोपाल लाल स्वर्णकार, आरएएस,

प्रकरण संख्या:- 7/2019 (गुण्डा एकट)

दायर दिनांक:- 27.08.2019

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

_____प्राथी



बनाम

श्री पिन्दु पिता नन्दा मीणा, निवासी पानडीया थाना प्रतापगढ़ जिला, प्रतापगढ़ (राज.)

_____अप्राथी/गैरसायल

:-प्राथीना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975-:-

:-निर्णय:-

दिनांक:- 07 फरवरी 2020

1-श्रीमान् कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के आदेशांक/सरिश्ता/आदेश/2010/1571-1575 दिनांक 22.12.2010 से राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों में सुनवाई का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को दिये जाने से हस्तगत प्रकरण में सुनवाई इस न्यायालय द्वारा की जा रही है । संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ ने हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3/2, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरुद्ध अप्राथी/गैरसायल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैरसायल व्यक्ति बदमाश प्रवृत्ति का होकर अवैध जुआं सट्टा खेलने का आदि है इसके विरुद्ध कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं करता है । अप्राथी/गैरसायल के विरुद्ध 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 03 प्रकरण पंजीबद्ध होकर, सक्षम न्यायालय से दोषी करार जुर्माने से दण्डित किया गया है ।

अप्राथी/गैरसायल के विरुद्ध निम्नांकित संज्ञेय अपराधों की ईत्तला रिपोर्ट थाना प्रतापगढ़ में दर्ज होकर, प्रकरणवार नतीजा न्यायालय उसके सामने अंकित है:-

12

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या	अपराध अन्तर्गत धारा	तारीख दायर	अंतिम रिपोर्ट पुलिस	निर्णय न्यायालय
81/19	13 आर.पी.जी.ओ.	18.02.19	45/19	दिनांक 14.03.2019 को दोषी करार एवं 100 रु जुर्माने से दण्डित
91/19	13 आर.पी.जी.ओ.	23.02.19	47/19	दिनांक 11.03.2019 को दोषी करार एवं 100 रु जुर्माने से दण्डित
150/19	13 आर.पी.जी.ओ.	17.04.19	86/19	दिनांक 26.04.2019 को दोषी करार एवं 100 रु जुर्माने से दण्डित



प्रार्थना पत्र ताईद में प्रथम सूचना रिपोर्ट्स, चार्ज शीट्स एवं सक्षम न्यायालय में निर्णय की सत्यापित प्रतियाँ पेशकर, अप्रार्थी/गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की।

2-मामला बाद पंजीबद्ध कर, अप्रार्थी / गैरसायल को नोटीस जारी किया गया। अप्रार्थी/ गैरसायल उपस्थित लेकिन उसके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

3-हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। जिससे राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) तथा उसके अनुलग्न स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को तभी 'गुण्डा' कहा जा सकता है, जब राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) के खण्ड (i) से (viii) में संदर्भित अपराध प्रमाणित हो जाता है एवं उक्त प्रमाणित अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा उसे सजा दी गई हो। जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 3, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध अप्रार्थी/ गैरसायल के भी 3 संज्ञेय अपराध किये जाने की सूचना अंकित है। प्रार्थना पत्र की पुष्टि में वक्त सूनवाई गैरसायल द्वारा तत्सम्बन्धी आवश्यक साक्ष्य/सबुत पेश नहीं किये हैं।

4-चूंकि अप्रार्थी/गैरसायल को उपर वर्णित 3 प्रकरणों में अपराध प्रमाणित होने से सक्षम न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है। साथ ही पत्रावली के अवलोकन में यह भी पाया गया कि गैरसायल वर्ष 2019 से अब तक उक्त कार्यों में लिप्त है।

ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/गैरसायल श्री पिन्दु पिता नन्दा मीणा निवासी पानडीया, प्रतापगढ़ को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) के अनुसार "गुण्डा" घोषित किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि-

1. श्री पिन्दु पिता नन्दा मीणा निवासी पानडीया, प्रतापगढ़ को जिला प्रतापगढ़ की सीमा से एक माह (30 दिवस) की अवधि के लिये निष्कासित किया जाता है।
2. उक्त एक माह की अवधि तक के लिये थाना घाटोल जिला बांसवाड़ा, (राज0) में रहने की स्वीकृति दी जाती है।
3. अप्रार्थी/गैरसायल को पाबन्द किया जाता है कि निष्कासन की अवधि में थाना घाटोल जिला बांसवाड़ा के यहां साप्ताहिक उपस्थिति देगा एवं बगैर उनको सूचित किये क्षेत्र नहीं छोड़ेगा और ना ही जिला प्रतापगढ़ की सीमा में प्रवेश करेगा।

4. निष्कासन अवधि के दौरान कोई भी तीखा अथवा तेज धार वाला अस्त्र या आयुध , कोई भी मादक मदिरा, अफीम, गांजा, चरस या भांग किसी विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु अथवा ऐरेटेड वाटर की बोतलों का उसके कब्जे में होना या उसके द्वारा उपयोग किया जाना निषेध रहेगा ।
5. किसी विशिष्ट शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, मेला, हाटबाजार, सिनेमाघर या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल जैसे- सार्वजनिक पार्क, रेस्टोरेन्ट, होटल अथवा किसी भी सरकारी भवन के समीप से विशिष्ट दूरी के भीतर उपस्थित नहीं होसकेगा ।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2020 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया ।



(गोपाल लाल स्वर्णकार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़ (राज.)

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़
- 2-जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा
- 3-थानाधिकारी घाटोल/थानाधिकारी प्रतापगढ़
- 4-अप्रार्थी/गैरसायल श्री पिन्दु पिता नन्दा मीणा निवासी पानडीया, प्रतापगढ़

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़ (राज.)